बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के पद पर संविदा चयन हेतु पैनल तैयार करने हेतु Walk in Interview की सूचना

राज्य के भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया स्थित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी (नालंदा) के विभिन्न विभागों (दंत सहित) में एवं पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के मनोरोग विभाग में जूनियर रेजिडेंट के स्वीकृत रिक्त पदों पर संविदा चयन हेतु पैनल निर्माण किया जाना है।

इस हेतु आवेदन पत्र संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षक के कार्यालय में निम्न शर्तो के अधीन आमंत्रित किये जाते है :-

1) **शैक्षणिक योग्यता** :- भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त एम0बी0बी0एस0 डिग्री। पी0जी0 डिप्लोमाधारी (निश्चेतना, रेडियोलॉजी, मनोरोग, टी०बी० एवं चेस्ट, शिशु, चर्म, हड्डी, कान-नाक-गला, नेत्र, स्त्री रोग को विषय विशेष में प्राथमिकता दी जायेगी।)

2) राज्य स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत नियमित चिकित्सक आवेदन के पात्र नही होंगे।

3) **आरक्षण** :- बिहार सरकार द्वारा देय आरक्षण प्रभावी होगा।

4) उपरोक्त चयन हेतु साक्षात्कार (Walk in Interview) निम्न तिथि को आयोजित किया जायेगा।

तिथि एवं समय	साक्षात्कार स्थान
2 दिसम्बर 2015 11:00 बजे से	उपरोक्त सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक का कार्यालय।

5) आवेदक की अधिकतम उम्र राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा आरक्षण कोटिवार निर्धारित निम्नानुसार होगी।

सामान्य वर्ग	01.08.2015 को अधिकतम 37 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01.08.1978 के बाद की होनी चाहिए।
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग पुरूष एवं पि0 व0,अ0पि0व0 एवं सामान्य महिला	01.08.2015 को अधिकतम 40 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01.08.1975 के बाद की होनी चाहिए।
अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति पुरूष एवं अ0जा0, अ0ज0जा0 महिला	01.08.2015 को अधिकतम 42 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01.08.1973 के बाद की होनी चाहिए।

6) साक्षात्कार के समय सभी आवेदकों को विभागीय वेबसाईट **www.health.bih.nic.in** के **नोटिस बोर्ड** पर इस सूचना से संलग्न विहित आवेदन पत्र (पूर्ण रूप से भरा हुआ दो प्रति में) प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा।

7) प्राचार्य/अधीक्षक अपने संस्थान में MCI की आवश्यकता के अनुसार कार्यरत पी०जी० छात्र (JR-1,2,3) सहित पूर्व से कार्यरत जूनियर रेजीडेन्ट की संख्या को घटाकर रिक्तियाँ घोषित करते हुए एक कमिटि गठित कर सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 संशोधन 2013 के एनेक्सर-A के 1 'क', 'ख', 'ङ' एवं 2 के आधार पर प्राप्त अंको से मेधाक्रमानुसार पैनल तैयार करेंगे। सिर्फ MCI की आवश्यकतानुसार रिक्तियों पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए यथाशीघ्र संविदा चयन कर अपने स्तर से नियुक्त करते हुए विभाग को सूचित करेंगे।

8) यह चयन, चयन की तिथि से एक वर्ष या उन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हों) के लिए अनुमान्य होगा तथा संविदा चयन के आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर/नियमित नियुक्ति में विलम्ब होने पर MCI की आवश्यकता के मद्देनजर संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकता है।

9) **मानदेय** : जूनियर रेजिडेंट को 41 हजार रुपया (एकतालीस हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय देय होगा।

10) साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से ही चयन किए जाने की बाध्यता नहीं होगी तथा साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार